न्यायालय–संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक : क्यू /रि.ड्./2025 श्योपुर, दिनांक–29.12.2025

// रिमाण्ड ड्यूटी आदेश /

माह जनवरी एवं फरवरी–2026 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश, शनिवार, रविवार एवं घोषित अवकाश में न्यायिक जिला स्थापना श्योपुर/विजयपुर में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण अपने–अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गयी तिथि पर दिन के **03:00** बजे से **05:00** बजे तक उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे एवं उनके सहयोग हेतु संबंधित न्यायालय का तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का स्टाफ उपस्थित रहेगा :–

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के नाम	माह जनवरी–2025	माह फरवरी–2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमोघ अग्रवाल	03.01.2026 04.01.2026	15.02.2026
2	श्रीमती मनदीप कौर सेहमी	11.01.2026	21.02.2026 22.02.2026
3	सुश्री ऋचा भट्ट	25.01.2026 26.01.2026	01.02.2026
4	सुश्री पूर्वी राय	18.01.2026	08.02.2026
5	श्री परवेज आलम	01.01.2026 02.01.2026	07.02.2026
	न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर के नाम		
6	श्री विनय जैन	02.01.2026 03.01.2026 04.01.2026 25.01.2026 26.01.2026	07.02.2026 08.02.2026
7	श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन	01.01.2026 11.01.2026 18.01.2026	01.02.2026 15.02.2026 21.02.2026 22.02.2026

// आवश्यक निर्देश //

1. सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश/आकस्मिक अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो जिला मुख्यालय श्योपुर में **माह जनवरी–2026 में श्री पूर्वी राय तथा माह फरवरी–2026 में सुश्री ऋचा भट्ट** एवं तहसील मुख्यालय **विजयपुर** में **माह जनवरी–2026 मे श्री विनय जैन एवं माह फरवरी–2026 में श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन** के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
2. रिमांड ड्यूटी निष्पादित किये जाने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी के दौरान आवश्यकतानुसार अपने न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण के साथ उक्त ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।
3. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिये नियत की गयी रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त मानी जावेगी।
4. यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो आने वाले न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें कार्य संपादित करना होगा।
5. कोई भी न्यायिक अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अपनी रिमाण्ड ड्यूटी किसी अन्य अधिकारी से परिवर्तित नहीं करेगा, अन्यथा इसके लिये वह अधिकारी स्वयं दायित्वाधीन होगा।
6. यदि जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड डूय्टी वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण

अपने कर्तव्य पर रिमाण्ड के समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उस दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिस पर ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्यविभाजन आदेश द्वारा प्रभार है।

7. यदि किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण तहसील न्यायालय विजयपुर, जिला श्योपुर में पदस्थ न्यायाधीश अपने कर्तव्य पर रिमाण्ड के समय उपस्थित नहीं रहते हैं तो उक्त अवधि का रिमाण्ड का कार्य जिला मुख्यालय पर पदस्थ रिमाण्ड मजिस्ट्रेट निष्पादित करेंगे।

8. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा किसी अधिकारी का अवकाश उल्लेखित रिमाण्ड ड्यूटी की समयावधि का मुख्यालय अवधि सहित स्वीकार किया जाता है, तो कार्य विभाजन पत्रक के कंडिका क्रमांक–07 के अनुसार उसका प्रभारी अधिकारी उसकी रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेगा।

9. यदि रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान रिमाण्ड न्यायालय के समक्ष किसी आरक्षी केन्द्र के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 167(2)/धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अंतिम प्रतिवेदन (60 दिवस/90 दिवस पूर्ण होने के कारण) पेश किया जाता है, तो संबंधित रिमाण्ड न्यायालय उक्त अंतिम प्रतिवेदन को ग्रहण करेगा तथा ग्रहण करने के पश्चात न्यायालय खुलने पर संबंधित न्यायालय में उक्त अंतिम प्रतिवेदन भिजवायेगा।

10. रिमाण्ड ड्यूटी के समय कोई भी आरक्षी केन्द्र द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 164/धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता के कथन, जो भा.दं.सं. की धारा 376, 376(ए)(बी)(सी)(डी) इत्यादि (महिलाओं के विरुद्ध) पोस्को 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत करेगा, तो रिमाण्ड न्यायालय उसके कथन लेखबद्ध करेगा।

– सही –
(संध्या मरावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्योपुर, (म0प्र0)
श्योपुर, दिनांक :–29.12.2025

पृष्ठांकन क्रमांक 1154 /रि.ड्./2025

प्रतिलिपि :–

1. माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, श्योपुर
2. माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर
3. माननीय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर
4. माननीय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर
5. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, विजयपुर, जिला श्योपुर
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर/विजयपुर जिला श्योपुर
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर
8. पुलिस अधीक्षक श्योपुर की ओर संबंधित थानों को निर्देश प्रदान करने बावत्
9. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ श्योपुर/विजयपुर
10. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग श्योपुर/विजयपुर
11. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर
12. सहायक लेखापाल, श्योपुर
13. सिस्टम ऑफिसर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त सभी को ई–मेल करने बावत, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(संध्या मरावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
श्योपुर, (म0प्र0)